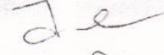


उपरोक्त शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें शर्तों का अनुपालन न होने की दशा में उद्योग द्वारा प्रेषित ₹0 2,50,000/- (₹0 दो लाख पचास हजार मात्र) बैंक गारन्टी बोर्ड के पक्ष में अवमुक्त की जा सकती है।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति की शर्तों में संशोधन किया जाय अथवा निरस्त कर दिया जाय। उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 30.12.2013 तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाए। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाए अथवा अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त भी किया जा सकता है।

भवदीय,


सदस्य सचिव

पृष्ठांकन सं०

/एन. ओ. सी.

तद दिनांक

प्रतिलिपि:

क्षेत्रीय अधिकारी, उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य परिवरण अधिकारी
(किर्कल-5)